15.45 hrs.

Title: Motion for consideration of the Industrial Disputes (Banking Companies) Decision (Repeal) Bill, 2001 (Bill passed).

MR. CHAIRMAN: The House will now take up item no.25. We have 15 minutes to go till 4 o'clock. I hope we can conclude this item also. Dr. Satyanarayan Jatiya.

श्रम मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। "

'

महोदय, श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता में प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा की एक कमेटी बनी हुई थी और उसमें कहा गया था कि इस औद्योगिक विवाद विनिश्चय अधिनियम,1955 की बाकी के अधिनियमों के साथ निरसन की सिफारिश की जाती है। इसका जो कार्यकाल था, जिस वक्त यह लागू करना था, 21 मार्च, 1959 तक ही इसकी उपयोगिता थी और यह महसूस किया जाता है कि क्योंकि 21 मार्च, 1959 के बाद इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए यह राज्य सभा में रखा गया था और इसे 25 अप्रैल को पारित कर दिया गया। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इसे पारित करने की अनुमति प्रदान करें।

MR. CHAIRMAN: Dr. Sanjay Paswan − not present.

There are no Members to speak on this Bill.

Now, the question is:

> "That the Bill to repeal the Industrial Disputes (Banking Companies) Decision Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will nowtake up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

डॉ.सत्यनारायण जटिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पारित किया जाए। "

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.